भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1318
दिनांक 12 फरवरी, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

कोविड-19 वैक्सीन की कीमतों का अनुमोदन

1318. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:
श्री दिग्विजय सिंह:
श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्री सैयद नासिर हुसैन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीनों की कीमतें राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा अनुमोदित की गई हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) से (ग): जी, नहीं। कोविड टीकों को भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। इन्हें आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल नहीं किया गया है। यह टीके वर्तमान में सरकारी प्रशासन द्वारा ही क्रय किए जा रहे हैं। इस प्रकार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा कोविड टीकों की कीमत अनुमोदित/निर्धारित नहीं की गई है।

******